

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/21328-21329 दिनांक :- 09/11/2017

1. कार्यकारी निदेशक रूडसिको।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सूरतगढ

विषय:- सीवरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत घरेलू सीवर कनेक्शन करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिका सूरतगढ मे सीवरेज का कार्य करवाया जा रहा है। नगर पालिका के प्रस्तावानुसार लगभग 5957 घरों को सीवर लाइन से जोडा जाना है। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार Insanitary Latrines जो कि लगभग 2000 घरों को सीवर कनेक्शन से जोडने हेतु पूर्व मे जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर पालिका द्वारा सीवर कनेक्शन करवाये जा सकते है। इसके अलावा आवश्यक राशि की व्यवस्था सीवरेज प्रोजेक्ट मे सेविंग से नियमानुसार सीवर कनेक्शन करवाते हुये शहर को खुले मे शौच से मुक्त घोषित किया जा सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है, कि दिसम्बर 2017 से पूर्व शहर को ODF किये जाने हेतु आवश्यक शौचालयों का निर्माण, अस्वच्छकारी शौचालयों को स्वच्छकारी शौचालयों मे परिवर्तित करना तथा सीवर लाइन से जोडने का कार्य तय समय सीमा मे करवाया जाना है।

अतः आप सीवर लाइन से सीवर कनेक्शन किये जाने हेतु सीवर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये घरेलू सीवर कनेक्शन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 09/11/2017

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/16/21330-339

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
6. जिला कलेक्टर हनुमानगढ।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
8. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
9. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
10. उपनिदेशक क्षेत्रीय बीकानेर।
11. प्रोगामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता